

नम्बर
अहम
हुक्म
जारी

- 1- श्रीमती पानी पत्नि श्री घासी उम्र बालिग जाति जाट निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
- 2 श्रीमती रामूदेवी पुत्री श्री घासी उम्र बालिग जाति जाट निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

-----प्रार्थी

ब न अ म

- 1 श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री रिद्धकरण जाति ब्राहमण उम्र बालिग निवासी बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
- 2- श्रीमती पार्वती पत्नि श्री राधेश्याम जाति ब्राहमण उम्र बालिग निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
- 3- श्रीदुगालाल पुत्र श्री शंकर जाति नाई उम्र बालिग निवासी बाड़ी
- 4- श्रीनानू पुत्र श्रीभागू जाति माली उम्र बालिग निवासी बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

-----अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम बाड़ी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 244 रक्बा 02-18-00 एव ख0 न0245 रक्बा 01-18-00 बिस्वा उनकी खुदकाशत से खातेदारी की भूमि है जिनमें पड़ोसी काशतकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते हैं अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थी को सुनाया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम बाड़ी की जमाबंदी संवत 2069-72 के खाता संख्या 741 में ख0 न0 244रक्बा 02-18-00 एव खाता संख्या 656 ख0 न0 245 रक्बा 01-18-00 बिस्वा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है अतः वे पत्थरगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और आदेश दिये जाते हैं कि -

आदेश

तहसीलदार बिजयनगर को ग्राम बाड़ी स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 244 रक्बा 02-18-00 एव ख0 न0 245 रक्बा 01-18-00 बिस्वा में मौका कमीशनर रु 1500/- कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूमि जरिये नक्शा व जमाबंदी अनुसार मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 8/2/18 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।



[Handwritten signature]

